भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 195
उत्तर देने की तारीख : 29.01.2026

वित्तीय सहायता और ऋण सुविधा

195. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :
श्री शशांक मणि :
श्री प्रदीप पुरोहित :
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्री बलभद्र माझी :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत अनुमोदित ऋण गारंटी का ओडिशा के नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र और कटक जिले सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिसमें कवरेज की बढ़ी हुई सीमा और विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं;

(ख) जनवरी, 2025 में घोषित एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत क्षेत्र-वार क्या प्रगति हुई है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेष रूप से ओडिशा के कटक जिले और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत कुल कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है और इसकी उपलब्धियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है विशेष रूप से राजस्थान के पाली और ओडिशा के कटक और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत गैर-निगमित और गैर-कृषि एमएसएमई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 31.12.2025 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत अनुमोदित क्रेडिट गारंटी का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में है। नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और कटक जिले सहित ओडिशा राज्य में अनुमोदित ऋण गारंटी का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) : वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एमएसएमई (एमसीजीएस-एमएसएमई) के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना जनवरी 2025 में शुरू की गई थी। यह योजना एमएसएमई को उपकरण/मशीनरी की खरीद से जुड़ी उनकी परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए तक के उनके सावधि ऋण के लिए ऋणदाताओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी) को क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करती है। दिनांक 31.12.2025 तक, योजना के तहत 173.39 करोड़ रुपए की राशि के 23 ऋणों की गारंटी प्रदान की गई है। इसके अलावा, डीएफएस ने सूचित किया है कि, चूंकि योजना हाल ही में शुरू की गई थी, इसलिए एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत ओडिशा राज्य में कोई गारंटी जारी नहीं की गई है।

(ग) : वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 08.04.2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई थी। इसकी शुरूआत से दिनांक 02.01.2026 तक पीएमएमवाई के तहत कुल 38.18 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, राजस्थान राज्य के पाली जिले में 4,666.21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ओडिशा में स्वीकृत राशि का जिला-वार विवरण अनुबंध-III में है।

(घ) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण प्रदान करना' पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 24 जुलाई 2017 (23 जुलाई 2025 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के पैरा 4.1 के संदर्भ में, बैंकों को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार नहीं करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों और अन्य एमएसएमई हितधारकों के साथ समन्वय में सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान आयोजित करता है ताकि कार्यशालाओं के आयोजन, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सभी हितधारकों से व्यापक प्रतिभागिता के लिए व्यापक प्रचार किया जा सके।

अनुबंध-I

"वित्तीय सहायता और ऋण सुविधा" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 195, जिसका उत्तर दिनांक 29.01.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुबंध।

सीजीटीएमएसई – अनुमोदित गारंटी			
वित्त वर्ष 2025-26 में 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि करोड़ रुपए में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	699	143
2	आंध्र प्रदेश	94,709	9,820
3	अरुणाचल प्रदेश	1,407	434
4	असम	34,577	5,775
5	बिहार	1,16,301	11,576
6	चंडीगढ़	6,024	1,494
7	छत्तीसगढ़	27,210	4,374
8	दिल्ली	43,781	12,646
9	गोवा	3,320	645
10	गुजरात	84,209	26,776
11	हरियाणा	53,117	10,879
12	हिमाचल प्रदेश	21,058	2,437
13	जम्मू और कश्मीर	32,165	2,501
14	झारखंड	43,008	5,828
15	कर्नाटक	1,09,580	20,155
16	केरल	54,558	8,071
17	लद्दाख	451	87
18	लक्षद्वीप	45	2
19	मध्य प्रदेश	77,861	13,203
20	महाराष्ट्र	1,82,220	41,500
21	मणिपुर	1,929	220
22	मेघालय	2,200	382
23	मिजोरम	1,472	172
24	नागालैंड	1,446	218
25	ओडिशा	60,138	9,694
26	पुडुचेरी	2,361	359
27	पंजाब	59,662	9,536
28	राजस्थान	90,019	14,526
29	सिक्किम	1,072	170
30	तमिलनाडु	1,13,564	21,521
31	तेलंगाना	65,459	12,988
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,010	317
33	त्रिपुरा	7,930	676
34	उत्तर प्रदेश	3,99,404	33,244
35	उत्तराखंड	22,061	3,072
36	पश्चिम बंगाल	1,24,814	18,450
	कुल	**19,40,841**	**3,03,890**

अनुबंध-II

"वित्तीय सहायता और ऋण सुविधा" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 195, जिसका उत्तर दिनांक 29.01.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुबंध।

सीजीटीएमएसई – अनुमोदित गारंटी		
वित्त वर्ष 2025-26 में 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		
जिला	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि करोड़ रुपए में**
नबरंगपुर	562	93
कोरापुट	1259	187
मल्कनगिरी	254	42
कटक	5623	1106

अनुबंध-III

"वित्तीय सहायता और ऋण सुविधा" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 195, जिसका उत्तर दिनांक 29.01.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुबंध।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)		
जिला-वार संचयी रिपोर्ट (दिनांक 02.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार*)		
		(राशि करोड़ रुपए में)
क्र.सं.	**राज्य/जिला का नाम**	**संस्वीकृत राशि**
	ओडिशा	
1	आंगुल	5,254.26
2	बलंगीर	5,807.49
3	बालेश्वर	8,153.18
4	बरगढ़	5,357.81
5	भद्रक	7,385.32
6	बौध	1,553.70
7	कटक	12,354.37
8	देबगढ़	789.89
9	ढेंकानाल	4,432.05
10	गजपति	1,101.40
11	गंजम	12,832.92
12	जगतसिंहपुर	5,048.02
13	जाजपुर	7,147.69
14	झारसुगुड़ा	2,875.66
15	कालाहांडी	3,946.34
16	कंधमाल	1,672.56
17	केंद्रपाड़ा	2,783.31
18	केंदुझार	4,915.74
19	खोरधा	19,153.33
20	कोरापुट	3,192.90
21	मलकानगिरी	1,309.67
22	मयूरभंज	7,744.06
23	नबरंगपुर	2,063.79
24	नयागढ़	4,243.92
25	नुआपाड़ा	1,814.63
26	पुरी	7,316.12
27	रायगढ़	2,508.15
28	संबलपुर	4,996.91
29	सुबरनापुर	2,753.21
30	सुंदरगढ़	6,791.85
31	अन्य#	15,626.07
	कुल	**1,72,926.32**

*अनंतिम

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए जिला-वार डेटा और कुछ एनबीएफसी/एमएफआई उपलब्ध नहीं हैं

स्रोत: सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार।